

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)
 प्रकरण संख्या - 53/2021 भीतारीन अधिकारी - अमित कुमार वर्मा (आर.प.एस.)

1. कन्हैयालाल पिता गैरुलाल वर्मा उम्र चयनक निवासी बारी गौहल्ला, शाहपुर तहसील शाहपुर जिला भीलवाड़ा राज. (प्रार्थी)
- 1 रामलाल पिता खाना गुर्जर उम्र चयनक निवासी डोई का खेडा तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा राज.
- 2 रामेश्वर पिता खाना गुर्जर उम्र चयनक निवासी डोई का खेडा तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा राज.
- 3 रामा पुत्री खाना गुर्जर उम्र चयनक निवासी डोई का खेडा तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा राज.
- 4 हेममी पुत्री खाना गुर्जर उम्र चयनक निवासी डोई का खेडा तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा राज.
- 5 गीता पुत्री रुधनाथ गुर्जर उम्र चयनक निवासी डोई का खेडा तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा राज.
- 6 छोटी पुत्री रुधनाथ गुर्जर उम्र चयनक निवासी डोई का खेडा तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा राज.
- 7 मोरी पुत्री रुधनाथ गुर्जर उम्र चयनक निवासी डोई का खेडा तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा राज.
- 8 प्रेमी पुत्री रुधनाथ गुर्जर उम्र चयनक निवासी डोई का खेडा तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा राज.
- 9 रतनी पुत्री रामा गुर्जर उम्र चयनक निवासी डोई का खेडा तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा राज.
- 10 जगदीश पिता रामदेव गुर्जर उम्र चयनक निवासी सांखलिया तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा राज.
- 11 दयाशंकर पिता रामदेव गुर्जर उम्र चयनक निवासी सांखलिया तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा राज.
- 12 महेन्द्र पुत्र रामदेव गुर्जर उम्र चयनक निवासी सांखलिया तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा राज.
- 13 प्रधानाध्यापक रा.उ.प्रा.वि. गणेशपुरा तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा राज.

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्री विजय पाराशर
 प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 15.07.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय ने दिनांक 05.04.2021 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बाके ग्राम डोई का खेडा पटवार मण्डल डैलास भूअ.नि. कनेछनकलां तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 5 के आ.न. 840/1050 रकबा 0.22 हैक्टर, भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 05.04.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को दजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई दिनांक 08.07.2021 पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थीया को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर बाके ग्राम डोई का खेडा पटवार मण्डल डैलास भूअ.नि. कनेछनकलां तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 5 के आ.न. 840/1050 रकबा 0.22 हैक्टर, भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक कनेछनकलां को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौक पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर रथगन होने की दशा में तथा मौक पर फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। न्यूनतम तीन दिन पूर्व आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनाथ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजावाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.07.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा)

उपखण्ड अधिकारी
 फुलियाकंला, जिला भीलवाड़ा